

असाक्षर ग

EXTRAORDINARY

भाग Π —सम्ब3 — उपखण्ड $({f ii})$

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राविकार से ब्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं∙ 270¦

नद्दे दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 1975/श्रावग 3, 1897

No. 270]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 1975/SRAVANA 3, 1897

इस भाग में भिन्न वृष्ट संख्या वी जाती हैं जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhl, the 25th July 1975

S.O. 379(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby omits the National Highway No. 2 connecting Delhi, Mathura, Agra, Kanpur, Allahabad, Banaras, Mohania, Barhi and Calcutta specified against Serial No. 3 in the Schedule to the said Act from that Schedule.

[No. PL-10(115)/70-I].

नीयहम ग्रीर परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

ग्रधिसूचनाऐं

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1975

सा० आ० 379 (आ).— राष्ट्रीय राजमार्ग भ्रिधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली-मथुरा-भ्रागरा-कानपुर-इलाहाबाद-वाराणसी, मोहनिया, बरही और कलकत्ता को मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2, जो उक्त श्रिधिनियम की धनुसूची में कम सं० 3 के सामने विनिर्दिष्ट है, को उस भनुसूची से हटाती है।

8.0. 380 (B).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares the highway specified in Column (3) of the Table below to be a national highway.

The said highway now declared to be a national highway shall be deemed to be specified in the Schedule to the National Highways Act, 1956 with the Serial No. and National Highway No. indicated in column (1) and (2) respectively of the said Table.

TABLE

Serial No.	National Highway No.	Description of national highways		

The highway connecting Delhi, Mathura, Agra, Kanpur, Allahabad, Banaras, Mohania, Barhi, Palsit, Baidyabati, Bara, Calcutta.

[No. PL-10 (115)/70-II]

J. S. MARYA,

Director General (Road Development) and Addl. Secy.

सा॰ गा॰ 380(ग).—राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिधिनियम, 1956 (1956 का 48) की बारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसब्द्वारा निम्न पारगों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग जोवित करती है। उक्त राजमार्ग, जो भ्रब राष्ट्र य राजमार्ग घोषित किया गया है, को उक्त सारणी के क्रमणः स्तम्भ (1) तथा (2) में दिशत क्रम संख्या तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग भ्रधिनियम, 1956 की श्रनुसूची में विनिर्दिष्ट माना जायेगा ।

सारणी

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
3	2	दिल्ली, मथुरा, श्रागरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी,
		मोहनिया, बरही, पालसित, वैद्यावटी, बारा, कलकत्ता
		को मिलाने वाला राजमार्ज ।

[संख्या पी० एल०-10(115)/70-II]
जगदेव सिंह मिड्या,
महा निदेशाक (सड़क विकास) तथा
अतिरिक्त सचित्र।